रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 578] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2013/फाल्गुन 21, 1934
No. 578] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2013/PHALGUNA 21, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2013

का.आ. 623(अ).— यत; केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1035 (अ), तारीख 7 मई, 2010 द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के 283.300 किमी से 358.080 किमी, 375.300 किमी से 376.700 किमी और 3.700 किमी से 17.200 किमी (कुंडापुर-सुरतकल-मंगलौर-कर्नाटक/केरल सीमा सेक्शन) तक के खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' संदर्भित किया गया है) को सौंपे हैं;

और यत:, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, मैसर्स नवयुग उडुपी टोलवे प्राइवेट लिमिटेड, जो 07.07.2009 को प्रस्तुत की गई बोलियों का सफल बोलीदाता हैं, जिसका पंजीकृत कार्यालय 1259, लक्ष्मी टावर्स, रोड नं0 36, जुबिली हिल्स, हैदराबाद-500033, आंध्रप्रदेश, भारत में है (जिसे इसमें इसके प्रश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है), के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर 283.300 किमी से 358.080 किमी कुंडापुर-सुरतकल सेक्शन, 375.300 किमी से 376.700 किमी मंगलौर - केरल सीमा (नन्तूर सर्किल - महावीर सर्किल), 3.700 किमी से 17.200 किमी महावीर सर्किल - केरल सीमा सेक्शन (जिसे इसमें इसके प्रश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) का चार लेन के विभाजित सड़कमार्ग में विकास करने और उक्त खण्ड के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु करार किया है (जिसे इसमें इसके प्रश्चात् उक्त करार संदर्भित किया गया है)

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008, जिसे सा.का.नि.838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 के तहत प्रकाशित किये गये थे (जिसे इसमें इसके प्रश्चात् "नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज,युक्तियुक्त प्रत्यागम, गातायात का परिमाण और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 89.276 किमी हेतु, चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग के लिए, सारणी 1 के स्तम्भ (2) मे विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) और पचास करोड़ रूपये या अधिक की लागतवाले पुल/संरचना/बाइपास के लिए नीचे सारणी 1 और 2 में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सारणी 2 में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जायेगा और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, जो भी बाद में हो, समापन की तारीख तक, जैसा कि करार में विनिर्दिष्ट किया गया है, शुल्क को संग्रहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है,

IndiaCode

सारणी-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक	2.20
भारी संनिर्माण मशीन (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (इएमइ) या मल्टी एक्सल वाहन (एमएवी) (तीन से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

सारणी-2

शुल्क की आधार दर (प्रति वाहन प्रति यात्रा रूपये में)					
स्थायी पुल, या सुरंग की लागत (करोड़ रूपये में)	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक या मिनी बस	ट्रक या बस	एचसीएम, इएमइ या एमएवी (तीन से छह धुरी वाले)	बड़े आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)
10 से 15	5	7.50	15	22	30
पंद्रह करोड़ रूपए से अधिक और एक सौ करोड़ रूपए तक, प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रूपए या उसके भाग के लिए	1	1.50	3	4.50	6

टिप्पणियां :

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
रारा-17 पर 300.480 किमी (उडुपी जिले में गुंडमी गांव के पास)	40.530
रारा-17 पर 347.180 किमी (उडुपी जिले में हजमडी गांव के पास)	34.250
रारा-17 पर 16.600 किमी (मंगलौर जिले में तलपडी गांव के पास)	14.496

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित पुल (पुलों) बाइपास (बाइपासों)/संरचना (संरचनाओं), जिनकी लागत नीचे दी गई है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क भी निम्नलिखित टोल प्लाजा पर शोध्य और संदेय होगा;

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	पुल/संरचना की लंबाई (कि.मी. में) और लागत (करोड़ रूपये में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	
	लम्बाई	लागत
रारा-17 पर 16.600 किमी	0.804 किमी	60.00 करोड़ रूपये

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन और गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2012-13 के लिए मासिक पास की दर 200.00 रूपए (दो सौ रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जायेगा, अर्थात्:

संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो - तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

6. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

8. ऊपर सारणी 1 में यथा उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. की आधार दरों के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जायेगा, परन्तु शर्त यह है कि छह महीने के अन्दर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा तथा उसे तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

[फा. सं. भाराप्रा/13013/644/11-12/सीओ/जीसी-मंगलौर (283.30-358.08) बीओटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2013

S.O. 623(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1035 (E), dated the 7th May, 2010, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretches from kilometer 283.300 to kilometer 358.080, Kilometer 375.300 to Kilometer 376.700 and Kilometer 3.700 to Kilometer 17.200 (kundapur – Surathkal – Mangalore – Karnataka/Kerala Border section) of National Highway No. 17 in the State of Karnataka to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Navayuga Udupi Tollway Private Limited, having its registered office at 1259, Lakshmi Towers, Road No. 36, Jubilee Hills, Hyderabad-500033, Andhra Pradesh, India, (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), the successful bidder for bids submitted on 07.07.2009 for the development of Kundapur - Surathkal section from Km 283.300 to Km 358.080, Mangalore – Kerala Border (Nantur Circle-Mahaveer Circle) from Km 375.300 to kilometer 376.700, Mahaveer Circul – Kerala Border section from 3.700 to Km 17.200 on National Highway No. 17 (hereinafter referred to as the "said section") (new national highway no 66) to four lane divided carriageway and operation and maintenance of the said section.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838 (E) dated 5th December, 2008 (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length of 89.276 Km for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") and at the base rates specified in the Table No.2 for bridge/structure/ bypass costing Rupees Fifty crore or more on the Type of Vehicles specified in Table 1 and 2 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

1039 GI/13-2

TABLE-1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck	2.20
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (Three to Six Axles)	3.45
Oversized Vehicles (Seven or more Axles)	4.20

TABLE-2

Base rate of fee (Rupees per vehicle per trip)					
Cost of permanent bridge, or tunnel (Rupees in crore)	**Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle**	**Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus**	**Truck or Bus**	**HCM, EME or MAV (Three to Six Axles)**	**Oversized Vehicle (Seven or more Axles)**
10 to 15	5	7.50	15	22	30
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees fifteen crore and up to Rupees one hundred crore.	1	1.50	3	4.50	6

Notes: -

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km 300.480 on NH-17 (near village Gundmi in Udupi District)	40.530
Km 347.180 on NH-17 (near village Hazamady in Udupi District)	34.250
Km 16.600 on NH-17 (near village Talapady in Manglore District)	14.496

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bridge(s)/bypass(es)/structure(s), cost of which is specified hereunder, at the following Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) and Cost of bridge/ structure (in Rupees crore) for which additional fee is payable	
	Length	Cost
Km 16.600 on NH-17	0.804 Km	Rs.60.00 Crore

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non- commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 200.00 (rupees Two Hundred only) for the year 2012-13 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys or more	Fifty or more	One month from date of payment

5. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said Rule.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rule.

8. Based on the base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 and 2, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the authority and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules provided that no revision shall be effected within six months and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

[F. No. NHAI/13013/644/11-12/CO/GC-Mangalore (283.30-358.08) BOT].

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.